

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 1613 / 14-1 दिनांक, मेरठ 09, नवम्बर, 2020

सेवा मे,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा अपर गंगा कैनल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.144 हे० एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनल मील 107 से 107.984 तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हे० एवं बाधक 91 वृक्षों के पातन कुल 0.8156 हे० संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति (प्रस्ताव सं०-FP/UP/Road/39999/2019)।

सन्दर्भ:-1-भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०६/१०२/२०१९/एफ०सी०/९५९, दिनांक 12.10.2020।

2-आपका पत्रांक 886/11-सी-FP/UP/Road/39999/2019, दिनांक 15.10.2020।

3-प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 778/14-1 दिनांक 17.09.2020 एवं पत्रांक 1331/14-1 दिनांक 05.11.2020।

4-इस कार्यालय का पत्रांक 945/14-1 दिनांक 18.09.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा दिनांक 07.01.2019 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 945/14-1 दिनांक 18.09.2020 से प्रेषित किया जा चुका है। आपके संदर्भित पत्र दिनांक 15.10.2020 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ द्वारा अभिलेख ऑनलाइन कर पुनः निम्न प्रकार प्रेषित किये हैं:-

गाजियाबाद वन प्रभाग की आख्या:-

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	Certificate of DFO indicating suitability of land proposed for Compensatory Afforestation shall be submitted	विषयक प्रकरण गाजियाबाद एवं हापुड़ वन प्रभाग से सम्बन्धित है। दोनो वन प्रभाग (गाजियाबाद एवं हापुड़ वन प्रभाग) की प्रयुक्त होने वाली वन 0.8156 हे० भूमि के समतुल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक 155/4/ई०ई० जोन-5/2020 दिनांक 20.08.2020 (प्रति संलग्न) से मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में ग्रीनबेल्ट हेतु ग्राम रसूलपुर याकूतपुर की आरक्षित 0.8156 हे० भूमि गाजियाबाद वन प्रभाग में को देने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। उक्त भूमि के वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	Since the user agency is state Government as recommended by DFO CA to be taken up Non Forest Land (NFL) instead of degraded forest land. Accordingly raised CA scheme of plantation on 0.8156 ha. of NFL shall be submitted.	0.8156 हे० भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण तथा उसके 10 वर्षों तक के अनुरक्षण सहित व्यय का प्राक्कलन संलग्न है।

हापुड़ वन प्रभाग की आख्या:-

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	Certificate of DFO indicating suitability of land proposed for Compensatory Afforestation shall be submitted.	विषयक प्रकरण गाजियाबाद एवं हापुड़ वन प्रभाग से सम्बन्धित है। दोनो वन प्रभाग (गाजियाबाद एवं हापुड़ वन प्रभाग) की प्रयुक्त होने वाली वन 0.8156 हे० भूमि के समतुल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक 155/4/ई०ई० जोन-5/2020 दिनांक 20.08.2020 (प्रति संलग्न) से मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में ग्रीन बेल्ट हेतु ग्राम रसूलपुर याकूतपुर की आरक्षित 0.8156 हे० भूमि गाजियाबाद वन प्रभाग को देने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। उक्त भूमि के वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	Since the user agency is state Government as recommended by DFO CA to be taken up Non Forest Land (NFL) instead of degraded forest land. Accordingly raised CA scheme of plantation on 0.8156 ha. of NFL shall be submitted	0.8156 हे० भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण तथा उसके 10 वर्षों तक के अनुरक्षण सहित व्यय का प्राक्कलन संलग्न है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

*For Govt
Received*

भवदीय

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 1613. 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, गाजियाबाद एवं हापुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।